भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02
**Phone:** 0755-2661263,2737446 **Fax:** 2661263
**Website:**bsgmp.net **E_mail:** bsgmadhyapradesh@gmail.com
अध्यक्ष : श्री अशोक अर्गल
राज्य मुख्य आयुक्त : श्री पारसचंद्र जैन

क्र0 / 2008 / स्था.–का.अ. / रा0मु0 / 2017 भोपाल, दिनांक 3/8/2017

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती / सुश्री / श्रीमान.................................................

..................................................................................

..................................................................................

विषय :– दिनांक 17 जुलाई–2017 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

––––000–––

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 17 जुलाई–2017 को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय, भोपाल में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित है।

धन्यवाद।

संलग्न :–कार्यवाही विवरण

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

# दिनांक 17 जुलाई 2017 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक दिनांक **17 जुलाई 2017** को दिन **सोमवार, दोपहर 03:00** बजे **राज्य मुख्यालय, भोपाल** के सभाग्रह में **माननीय श्री पारसचंद्र जैन, मंत्री नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त,** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये :--

| क्र. | पदाधिकारी का नाम | पद |
|---|---|---|
| 01 | श्री पारस चंद्र जैन | राज्य मुख्य आयुक्त |
| 02 | श्री डी.एस.राघव | राज्य आयुक्त--स्काउट |
| 03 | डॉं बलवान सिंह | राज्य कोषाध्यक्ष |
| 04. | श्री आलोक खरे | राज्य सचिव |
| 05. | श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर | संयुक्त राज्य सचिव |
| 06. | श्री प्रकाश चित्तौड़ा | सहायक राज्य आयुक्त--स्काउट |
| 07. | श्री रमेश चन्द्र शर्मा | सहायक राज्य आयुक्त--स्काउट |
| 08. | श्री राजीव जैन | सहायक राज्य आयुक्त--स्काउट |
| 09. | श्रीमती गीता झा | सहायक राज्य आयुक्त--गाइड |
| 10. | श्रीमती गुणमाला जैन | सहायक राज्य आयुक्त--गाइड |
| 11. | श्री प्रकाश दिसोरिया | राज्य संगठन आयुक्त--स्काउट |
| 12. | श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय | राज्य संगठन आयुक्त--गाइड |
| 13. | श्री बी.एल.शर्मा | राज्य प्रशिक्षण आयुक्त--स्काउट |
| 14. | श्री आर.डी.सोलंकी | मुख्यालय आयुक्त--स्काउट |
| 15. | श्री विष्णु राठौर | मुख्यालय आयुक्त--स्काउट |
| 16. | श्रीमती आबिदा रजा | जिला कमिश्नर--गाइड |
| 17. | श्रीमती कमला कुजूर | जिला कमिश्नर--गाइड |
| 18. | सुश्री विजया गहलोत | लीडर ट्रेनर--गाइड प्रतिनिधि |
| 19. | श्री विनोद मालवीय | ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि |
| 20 | श्री गिर्राज सिंह यादव | सहयोजित सदस्य |
| | विशेष आमंत्रित | |
| 01 | श्री एम.एस.राठौर | सलाहकार--रा.मु.आ. |
| 02 | श्री विजय आंबेकर | एल.टी.--स्काउट |

श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा दी गई गणपूर्ति (कोरम) की सूचना के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई। राज्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राज्य मुख्य आयुक्त एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों का पुष्पहार एवं पुष्पगुच्छ से संस्था के अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि स्काउटिंग में मितव्यता का भी महत्वपूर्ण स्थान है अतः आगामी बैठक से पुष्प गुच्छ अथवा पुष्पहार से पदाधिकारियों सम्मान न करते हुए औपचारिक सम्मान किया जावे । श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने अवगत कराया कि वह स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन एवं माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. के आदेशानुसार इस संस्था में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सचिव के पद पर दिनांक 01 जुलाई 2017 से कार्य कर रहे है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

**बिन्दु क्र.--01 -- गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं गत बैठक दिनांक 10 मार्च 2017 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एंव अनुमोदन--**

दिनांक 10 **मार्च -- 2017** को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि यह पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को डाक से भेजा गया है एवं संस्था की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है । राज्य सचिव ने सदन से पुष्टि चाही गई ।

**सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

दिनांक 10 **मार्च – 2017** को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पालन प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई। संस्था को प्राप्त साधारण/आजीवन सदस्यों के फार्मो की जॉच हेतु गठित समिति द्वारा जॉच की कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गई।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने माननीय श्री थावरचंद्र गेहलोत, सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री जी को धन्यवाद बैज व सिंहस्थ में विशेष सेवादार को सम्मानित करने के सम्बन्ध जानकारी चाही। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि माननीय सासंद जी को धन्यवाद बैज हेतु कार्यवाही प्रचलन में है तथा सिंहस्थ सेवादारों के नामों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला मुख्य आयुक्त से चर्चा कर राज्य स्तर पर नाम बुलाये जा रहे हैं।

श्री रमेश चंद्र शर्मा ने संस्था कर्मचारियों को लंबित छटवॉ वेतनमान अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों में निराशा की बात कहते हुए अतिशीघ्र छटवॉ वेतनमान एरियर सहित प्रदान करने की कार्यवाही की चर्चा की तथा आवश्यकता होने पर सहयोग देने को तैयार है। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि वह दिशा में प्रयासरत हैं एवं विधिवत स्वीकृति हेतु प्रयासरत है कोई दिक्कत होने पर आपसे संपर्क किया जावेगा।

संस्था के कर्मचारियों को वेतन कार्यालय से प्राप्त होने के सम्बन्ध में राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था के खाते में राशि शीघ्र ही जमा करने की कार्यवाही आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा की जा रही है।

सदस्यों द्वारा कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने की जानकारी चाहने पर राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था के संविदा एवं नियमित कर्मचारियों के सी.पी.एफ. राशि कटौत्रा की जाकर संस्था की ओर से इतनी ही राशि मिलाकर ई.पी.एफ.ओ.(सामान्य भविष्य निधि संगठम अरेरा हिल्स भोपाल) में खाते खोले गये हैं तथा वर्ष 15–16, 16–17 की राशि रू. 2903434 जमा कर दी गई है, शेष राशि जमा करवाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संविदा कर्मचारी के ई.पी.एफ. खाते खोले जाकर उनकी राशि वर्ष 16–17 की रू. 529128.00 जमा की गई है। संस्था कर्मचारियों की देय शेष राशि रू. 3703434 शीघ्र ही जमा कर दी जावेगी।

(अ) रोवर क्रु/रेंजर टीम (स्वतंत्र) ओपन क्रू का पंजीयन शुल्क 50 प्रतिशत किया जाने तथा (ब) ओपन क्रु/टीम की रोवर्स/रेंजर्स को शिविरों में निःशुल्क आतिथ्य दिया जाने के पूर्व कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर राज्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ओपन दलों की संख्या की जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्यकारिणी के पूर्व आवश्यक निर्णय लिये जावेगें।

श्री प्रकाश चित्तौडा ने पालन प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु सदस्यों से सहमति चाही ।

**निर्णय :–राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा (1) पूरे प्रदेश में शीघ्र ही निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण करने (2) माननीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद्र गेहलोत को उनके सहयोग हेतु धन्यवाद पत्र भेजने व पत्रिका में भी छापने(3) संस्था के मान्यता पत्रों की क्वालिटी में सुधार करते हुए आकर्षक बनाने (4) संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्राप्त होने में बाधाओं के अतिशीघ्र निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये ।**

**कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए गत बैठक की कार्यवाही एवं पालन प्रतिवेदन की सदन द्वारा पुष्टि की गई।**

**कार्यवाही :- राज्य सचिव/कक्ष प्रभारी**

## बिन्दु क्र.-02 – राज्य शिक्षा केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय एंव अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान पर चर्चा

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि --

1. राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को वर्ष 17–18 हेतु राशि 2,04,25,840.00 का गतिविधियों हेतु अनुदान प्रस्ताव भेजे गये है किन्तु राशि अभी तक प्राप्त नही हुई है राशि रुपये 1,33,00,000.00 विमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
2. अनुसूचित जाति विकास विभाग को वर्ष 17–18 हेतु राशि रू. 11,59,150.00 के प्रस्ताव भेजे गये है किन्तु राशि अभी तक प्राप्त नही हुई है । संपर्क कर प्रयास किये जा रहे हैं।
3. आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल को वर्ष 2017–18 हेतु राशि रू. 47,33,750.00 का प्रस्ताव भेजे गये है राशि जिले में प्रेषित की जाती है । माननीय राज्य मुख्य आयुक्त महोदय एवं माननीय राज्य मंत्री जी म.प्र. शासन से इस सम्बन्ध में चर्चा करने का अनुरोध किया गया ।
4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 17–18 हेतु राशि रू. 41,59,500.00 का प्रस्ताव भेजा गया है किन्तु राशि अभी तक प्राप्त नही हुई है तथा ज्ञात जानकारी अनुसार कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सचिव ने किये गये प्रयासों की जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया कि उनके द्वारा वित्तीय नियंत्रक अधिकारी, राज्य शिक्षा केन्द्र से आवश्यक सहयोग हेतु चर्चा की । उनके द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी आगामी कार्ययोजना में शामिल करने हेतु पुनः प्रस्ताव भेजा जावेगा।

राज्य सचिव एवं सदन के सदस्यों ने माननीय राज्य मुख्य आयुक्त से उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग की अपेक्षा एवं अपील की । राज्य मुख्य आयुक्त ने पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

निर्णय :– प्रगति से राज्य मुख्य आयुक्त को अवगत कराते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जावे।

**कार्यवाही :- राज्य सचिव/कक्ष प्रभारी**

**बिन्दु क्र.-03 – संस्था को प्राप्त साधारण/आजीवन सदर्स्यों की सदस्यताः**– राज्य सचिव द्वारा संस्था के आजीवन सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में अवगत कराया कि संस्था की **आजीवन सदस्यता** हेतु 15 आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुये है जो निम्नानुसार है :–

| क्र. आवेदक नाम. | निवास |
|---|---|
| 1 श्री के.सी.तिवारी | सी.–20/11महाकाल वाणिज्य केन्द्र नानाखेड़ा उज्जैन |
| 2. श्री दीपक राव महाडिक | बी–68 अर्पिता कालोनी नानाखेड़ा उज्जैन। |
| 3. श्रीमती आशा भार्गव | 39 बैकुण्ठ धाम कालोनी, मंगढ़म सिद्धि अर्पाटमेन्ट आनंद बाजार इन्दौर। |
| 4. श्री नारायण अहिरवार | 32 तृप्ति परिसर, महाराजा ढाबे के पीछे नानाखेड़ा क्षेत्र उज्जैन। |
| 5. श्री धनराज पालीवाल | बी–1/23 महाकाल वाणिज्य केन्द्र नानाखेड़ा बस स्टेण्ड के पास उज्जैन। |
| 6. श्री शक्ति वर्मा | 6, कंचन बिहार एक्स नीलगंगा उज्जैन। |
| 7. श्री विशाल राजौरिया | 8, भक्त नगर उज्जैन । |
| 8. श्री नवीन आर्य | 2/3 निकास चौराहा उज्जैन। |
| 9. श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला | 131–132 भाग 1, महेश नगर मीणा धर्मशला के पीछे अंकपात मार्ग उज्जैन। |
| 10.श्री आर.एन.वर्मा | बी–209 विवेकानंद कालोनी शिवमंदिर के पास उज्जैन। |
| 11. श्री गुलाब राव बुआड़े | 48, कम्फर्ट पार्क, ई–8 एक्सटेशंन, बाबड़िया कला भोपाल। |
| 12. मंदार पुराणिक | एफ–103सी.आई. होम्स माता मदिंर भोपाल। |
| 13. श्री आशीष अग्रवाल | दुर्गा चौक, घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल। |
| 14. श्री कोमल बिवाल | 5/1 पूजानगर , सेठीनगर, उज्जैन । |
| 15. श्री सुरेन्द्र पाण्डे | नया 5 न काम्पेक्स, बरगवर कटनी। |

इस अवसर पर 02 आजीवन सदस्यों के फार्म सदन में राज्य सचिव को दिये गये जो इस प्रकार है–

1 श्री प्रदीप तामोट — ई–3/27, अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र.।

2. श्री तरूण अग्रवाल — सोनल ब्यूटी पार्लर के पास, गुरूद्वारे के पीछे, ए.बी. रोड, शिवपुरी म.प्र.।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि आजीवन सदस्यता में वृद्धि आशातीत नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपने स्तर पर कम से कम 5 सदस्य को संस्था से जोड़े। सहायक राज्य संगठन आयुक्त एवं जिला संगठन आयुक्त को सौंपे गये लक्ष्यों में यह लक्ष्य भी सम्मिलित किया जावे।

इस अवसर पर सदस्यों ने स्काउट–गाइड फैलोशिप सदस्यता में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया। सदस्यता हेतु 01 फार्म राज्य सचिव को प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी इस प्रकार है–

1. श्री राजीव जैन — ई.के. 9/4, चार इमली भोपाल ।

उपस्थित सदस्यों ने नवीन आजीवन सदस्यों को सूची में शामिल करने हेतु सहमति प्रदान करते हुये आजीवन सदस्यों की सूची, स्काउट–गाइड फैलोशिप सदस्यता को अनुमोदित किया।

निर्णय :– आजीवन सदस्यता के प्राप्त आवेदनों को नियुक्त परीक्षण समिति की अनुशंसा पश्चात सूची में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की गई । स्काउट–गाइड फैलोशिप सदस्यता वृद्धि हेतु आवश्यक प्रयास करे।

कार्यवाही – एस.टी.सी.(स्काउट/गाइड)/कार्यालय अधीक्षक

**बिन्दु क्र.-04 – परिदृश्य "2024" की प्रगति पर चर्चा।**

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि राज्य की रणनीतिक योजना 2024 के अंतर्गत **निर्धारित प्राथमिकताओं पर** राज्य मुख्यालय, संभाग व जिला अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है इसकी प्रगति इस प्रकार है–

1. **युवा कार्यक्रम–** नवीन पाठ्यक्रमानुसार कब–बुलबुल स्काउट– गाइड रोवर, रेंजर जॉच पत्र तैयार किये गयें।प्रवेश पुस्तक नवीन पाठ्यक्रमानुसार तैयार ।राज्य स्तर पर युवा दिवस कार्यक्रम, एडवेंचर केम्प, रोवर, रेंजर मेट प्रशिक्षण के नवीन कार्यक्रम सम्मिलित किये गयें।
2. **वयस्क संसाधन–** सेल्फ लर्निंग माडयुलर कोर्स नवीन पाठ्यक्रमानुसार आयोजित किये जा रहे है। राज्य स्तर पर ग्रुप लीडर, कमिश्नर कोर्स, योग प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।
3. **संख्यात्मक विकास–** सभी विभागों के दल पंजीयन में 10/प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य निर्धारित किया।
4. **वित्तीय एवं भौतिक संसाधन–** वित्तीय सुदृढता हेतु फाउंडेशन प्रारंभ स्तर पर सम्मेलन व पत्राचार से प्रयास जारी ।. प्रशिक्षण केन्द्र सुविधापूर्ण बनाने हेतु प्रयास जारी । सामग्री विक्रय हेतु जिला स्तर पर मोबाइल शाप आयोजन हेतु कार्य प्रारंभ। वित्तीय नियंत्रण कर अग्रिम वसूली व समायोजन किया गया एवं देय राशियों का भुगतान प्रारंभ।
5. **प्रबंधन–** विकासखण्ड संघ गठन हेतु निर्देश दिये गये । सभाग से प्रयास जारी। जिला व संभाग के आडिट निरंतर किये जा रहे है। पात्रतानुसार युनिट लीडर व कमिश्नर के वारंट जारी किये जा रहे है।
6. **संचार एवं जनसंपर्क–** संचार नीति का पुनः निर्धारण शेष है। पत्रिका सदस्यता हेतु पत्राचार, सेमिनार, बैठक में अभियान जारी । संभाग/जिला संघो को ई–मेल से पत्राचार एंव संभाग से विडियों कान्फ्रेंसिंग निरंतर। जिला स्तर पर संवाददाता व प्रचार प्रसार समिति गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव ने निर्धारित प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए अद्यतन प्रगति से अवगत कराया।

सदन में सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा कर सतत मॉनिटरिंग करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करने की राज्य सचिव से अपेक्षा की।

**निर्णय :– सतत मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति से राज्य मुख्य आयुक्त को अवगत कराते रहें।**

**कार्यवाही – संयुक्त राज्य सचिव/राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/ राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)/लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी सहायक सचिव/कार्यालय अधीक्षक।**

**बिन्दु क्र. 05 कार्यालयीन प्रस्ताव :–**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा निम्नलिखित कार्यालयीन प्रस्ताव सदन मे माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गयें।

**01. संभागीय कार्यालय के संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तन किया जाकर खाते ए.एस. ओ.सी. स्काउट/गाइड के नाम संधारित किये जाना प्रस्तावित है। ताकि कार्यालय के रू 5000 तक के अकास्मिक एंव मूलभूत व्यय की राशि समय पर भुगतान हो सके । 5000.00 से अधिक राशि के व्यय हेतु राज्य मुख्यालय की स्वीकृति आवश्यक होगी।**

सदन में सदस्यों में विस्तृत चर्चा पश्चात् राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा कोषाध्यक्ष से सुझाव चाहने पर डॉ. बलवान सिंह ने कहा कि वित्तिय व्यवहार नियंत्रण हेतु संयुक्त हस्ताक्षर होना उचित है। अति आवश्यक/आकस्मिक व्यय जैसे बिजली, पानी, दूरभाष, स्टेशनरी, बैठक हेतु रू. 5000/– तक की राशि कार्यालय में पेटीकेश के रूप रखकर भुगतान ए.एस.ओ.सी. स्तर पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य व्यय हेतु पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।

राज्य मुख्य आयुक्त ने इससे सहमति व्यक्त की।

निर्णय :– अति आवश्यक व्यय जैसे बिजली, पानी, दूरभाष, स्टेशनरी, बैठक हेतु रू. 5000/– तक की राशि ~~कार्यालय में रखकर~~ ए.एस.ओ.सी. स्तर पर भुगतान की स्वीकृति दी जाने का आदेश जारी किया जावे। अन्य व्ययों हेतु व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

कार्यवाही :– लेखाधिकारी

02. ब्लाक संघ निर्वाचन की अवधि तीन वर्ष से पांच वर्ष हो गई है । अतः ब्लाक संघ की (मान्यता) संबद्वता शुल्क राशि 300.00 से रू 500.00 किया जाना प्रस्तावित है।

निर्वाचन अवधि में वृद्धि होने से मान्यता शुल्क में वृद्धि हेतु श्री राजीव जैन, श्री विजय आंबेकर ने प्रस्ताव को उचित माना जिससे सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

निर्णय :– ब्लाक संघ की (मान्यता) संबद्वता शुल्क राशि 300.00 से रू 500.00 की जावे।

कार्यवाही :– सहायक सचिव

03. जिला संघो को प्रतिवर्ष राज्य मुख्यालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर 31 मार्च तक पंजीयन राशि जमा करने के निर्देश दिये जाते है किन्तु अधिकांश जिले द्वारा 31मार्च तक राशि जमा नही कराई जाती है एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्धारित समय पर राशि प्रेषित की जानी आवश्यक है। अतः प्रस्ताव है राष्ट्रीय मुख्यालय की भांति जिन जिला संघों द्वारा 31 मार्च तक पंजीयन राशि जमा नही कराई जाती है। उनसे 10 प्रतिशत ब्याज सहित पंजीयन राशि के साथ जमा कराई जावें।

सदन में चर्चा हुई । सदस्यों ने जिला संघों में शीघ्र लंबित निर्वाचन करवाते हुए ब्याज सहित राशि वसूली हेतु सहमति व्यक्त की।

निर्णय :– जिला संघों के निर्वाचन शीघ्र करवातें हुए जिला मुख्य आयुक्त को लंबित पंजीयन राशि अतिशीघ्र भेजने के निर्देश जारी किये जावे ।

कार्यवाही :– सहायक सचिव

04.क– समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित होने वाले वयस्क प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों से 100 रू. विकास एवं 50रू. विशेष शुल्क लिया जाता है। जो राज्य में मुख्यालय जमा होता है। अतः वयस्क शिविरों से प्राप्त विकास शुल्क मे से विकास शुल्क का (50 प्रतिशत) 50/– प्रति व्यक्ति राशि संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

श्री राजीव जैन सहित सदस्यों ने उक्त से प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

निर्णय :– प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास हेतु उक्त राशि प्रशिक्षण केन्द्र पर रख विधिवत केशबुक का संधारण किया जावे तथा सम्बन्धित ए.एस.ओ.सी. मॉनिटरिंग करें ।

कार्यवाही :– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

04.ख– राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय युवा कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित शिविरों के विकास विशेष शुल्क में से 75/– प्रतिशत संभाग/जिला संघ द्वारा राज्य मुख्यालय प्रेषित किया जाता है एवं राज्य प्रशिक्षण केन्द्र की समस्त राशि राज्य मुख्यालय जमा की जाती है। अतः प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित समस्त प्रकार के युवा शिविरों के विकास शुल्क 100/–में से 50 प्रति व्यक्ति राशि प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण केन्द्र के विकास हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण केन्द्र पर उक्त प्राप्त राशि का संधारण संबंधित ए.एस.ओ.सी. द्वारा पृथक खाता एवं केश बुक संधारित किया जायेगा ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राशि की व्यवस्था हेतु उक्त प्रस्ताव अच्छा है। साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सहयोग राशि बाबत् माननीय राज्य मुख्य आयुक्त की ओर से पत्र भेजा जाना चाहिये। श्री प्रकाश चित्तौडा ने भी सहमति व्यक्त की।

निर्णय :–प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित समस्त प्रकार के युवा शिविरों के विकास शुल्क 100/–में से 50



AZ

प्रति व्यक्ति राशि प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण केन्द्र के विकास हेतु दी जावे तथा केसबुक का नियमानुसार संधारण करते हुए राज्य मुख्यालय को आय–व्यय की जानकारी भेजी जावे।

कार्यवाही :– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड)

**बिन्दु क्र.–06 – माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों ने अपने प्रस्ताव / सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है–

प्र. 01 श्री राजीव जैन, सहा.रा.आ.–स्काउट ने निम्न प्रस्ताव रखे–

(अ) संस्था में फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने हेतु प्रस्ताव दिया एवं इस हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की।

(ब) कर्मचारियों की लंबित समस्या के निराकरण हेतु किये की गई कार्यवाही की जानकारी चाही।

(स) वाटर स्पोर्टस, एडवेंचर गतिविधि, पैरासिलिंग, वाटर स्पोर्टस् जैसे रूचिकर कार्यक्रम, आधुनिक विधाओं को संस्था में प्रारंभ करने का सुझाव देते हुए सहयोग प्रदान करने हेतु अपनी रूचि प्रकट की।

(द) मासिक पत्रिका बालचर रवि में संपादक मंडल में उन्हें सम्मिलित करने का अनुरोध किया।

चर्चा में सदस्यों ने पत्रिका मुद्रण एवं अन्य व्ययों की चर्चा करते हुए आय की तुलना में व्यय अधिक होने की बात कही तथा पत्रिका का अनुबंध कब तक का है जानकारी चाही । साथ ही अन्य स्थानों की पत्रिका प्रस्तुत करते हुए पत्रिका के स्तर में सुधार की बात कही।

राज्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में पत्रिका की सदस्यता कम है तथा कक्ष द्वारा सदस्यता वृद्धि हेतु और प्रयास किये जावेंगे । पत्रिका हेतु विज्ञापनों की आवश्यकता भी है मात्र जनसंपर्क कार्यालय से त्रैमासिक विज्ञापन प्राप्त होता है सदस्यों से, संभागीय अधिकारियो / जिले के अधिकारियों से पत्रिका हेतु विज्ञापन भेजने का अनुरोध है जिससे आय में वृद्धि हो । नवीन अनुबंध में पत्रिका के उन्नयन हेतु आवश्यक सभी पक्षों का ध्यान रखा जावेगा। आजीवन सदस्यता भी कम है।

राज्य मुख्य आयुक्त ने इस अवसर पर स्वयं को आजीवन सदस्य बनाने का कहते हुए आजीवन सदस्यता राशि जमा की एवं पत्रिका सदस्यता में वृद्धि हेतु सभी से उनके स्तर पर अनुरोध किया। इस अवसर पर राज्य मुख्य आयुक्त की प्रेरणा से सदन में निम्न पदाधिकारियों ने मासिक "पत्रिका बालचर रवि" हेतु आजीवन सदस्य बनते हुए सहयोग राशि रू. 2000 / – प्रत्येक द्वारा जमा की गई।

1. श्री पारसचंद्र जैन, राज्य मुख्य आयुक्त
2. श्री आलोक खरे, राज्य सचिव
3. श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहा.रा.आ.स्काउट
4. श्री राजीव जैन, सहा.रा.आ.स्काउट
5. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहा.रा.आ.–स्काउट
6. श्री एम एस. राठौर, सलाहकार, रा.मु. आ.आ.

सदस्यों ने राज्य मुख्य आयुक्त से अनुरोध किया कि (1) मासिक पत्रिका "बालचर रवि" (2) संस्था के आजीवन एवं साधारण सदस्यों तथा स्काउट गाइड फैलोशिप सदस्यता से प्राप्त होने वाली राशि को बैंक में मियादी जमा के रूप में रखा जाना चाहिये। जिसपर राज्य मुख्य आयुक्त ने अपनी सहमति प्रदान की।

**निर्णय :–(1) संस्था में प्रशिक्षण में आधुनिक विधाओं को सम्मिलित करने हेतु विचार कर कार्यवाही हेतु 1. श्री राजीव जैन, सहा.रा.आ.–स्काउट 2. श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट 3. श्री आलोक खरे, राज्य सचिव 4.श्री विजय आंबेकर–लीडर ट्रेनर(स्काउट) 5. डॉ(श्रीमती) रीना राजपूत–सहयोजित सदस्य को सम्मिलित करते हुए समिति बनाई जाती है।**

**(2). संस्था को प्राप्त हो रही सदस्यता राशि को नियमानुसार बैंक में मियादी जमा के रूप में सुरक्षित करें।**

कार्यवाही :– राज्य सचिव / लेखाधिकारी

प्र. 02 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहा.रा.आ.–स्काउट ने प्रस्ताव रखे कि –

(अ)– यह देखा जा रहा है कुछ सदस्य राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित नहीं होते है। अतः ऐसे सदस्य जो विगत 03 कार्यकारिणी बैठक से अनुपस्थित है उनकी सदस्यता समाप्त की जावे।

(ब) उज्जैन स्थित भूमि पर निर्मित भवन में फर्नीचर हेतु राशि की आवश्यकता है जिस हेतु सदन निर्णय लेना चाहेगा।

(स) पूर्व में लिये निर्णयानुसार कार्यकारिणी की बैठक पचमढ़ी में आयोजित होना थी। जो वहाँ आयोजित क्यों नहीं हो पाई ?

(द) कार्यकारिणी की बैठक 03 बजे दोपहर होने से सदस्यों को बैठक पश्चात् गंतव्य स्थान पर जाने मे असुविधा होती है इस हेतु समय निर्धारण पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

सदन में चर्चा के दौरान बिंदु (अ) के सम्बन्ध में श्री प्रकाश दिसोरिया ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। सदन चाहे तो उन्हें पत्र सूचना दी जा सकती है।

बिंदु (ब) के सम्बन्ध में अभिमत चाहने पर राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि जिला संघ में उक्त आशय का प्रस्ताव रख, स्वीकृति होने पर नियमानुसार राशि का प्रयोग कर सकते हैं।

बिंदु (स) के सम्बन्ध में राज्य सचिव ने अवगत कराया कि पचमढ़ी में निर्धारित स्थल पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। अतः कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अन्य स्थलों के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई एवं आगामी कार्यकारिणी बैठक सिंहाजी (खंडवा) में करने का प्रस्ताव श्री रमेश चंद्र शर्मा ने रखा जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की।

बिंदु (द) के सम्बन्ध में बैठक का समय दोपहर 12.00 बजे के आसपास निर्धारित किया गया।

निर्णय :– (अ) सदस्यों को पत्र लिख कर सूचित किया जावे। (ब) कानूनी/संस्था नियमों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जावे। (स) आगामी राज्य कार्यकारिणी की आगामी बैठक सिंहाजी (खंडवा) में आयोजित की जावे, तथा आवश्यक व्यवस्था करते हुए विस्तृत सूचना सम्बन्धितों को समय-पूर्व दी जावे। (द) राज्य कार्यकारिणी की बैठक 12-01 बजे के मध्य आंमत्रित की जावे।

कार्यवाही :– राज्य सचिव/संयुक्त राज्य सचिव/सहायक सचिव

प्र. 03 डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष ने प्रस्ताव रखे कि –

(अ)– यह देखा जा रहा है जिला संगठन आयुक्त–स्काउट के पास भंडार की सामग्री/डायरी/स्टिकर विक्रय हेतु रहती है तथा उपरोक्त सामग्री के प्राप्ति/विक्रय की जानकारी हेतु केसबुक/स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं पाया जाता है। केसबुक मैंटेन न होने से राशि/सामग्री के हिसाब में अनियमितता रहती है अतएव इस हेतु विचार किया जाना उचित होगा।

(ब) वर्ष 2015–16 के सी.ए.अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनेक आपत्तिॅया थी जिनके निराकरण हेतु स्टोर एवं लेखाकक्ष के 04 कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आमत्तियों का निराकरण किया । उनके कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र दिया जाने पर विचार करना चाहेगे।

बिंदु (अ) के सम्बन्ध मे चर्चा की गई । डॉ बलवान सिंह एवं श्री प्रकाश दिसोरिया ने सुझाव दिया कि मतानुसार डी.ओ.सी. एवं ए.एस.ओ.सी. के द्वारा समन्वय से कार्य किया जावे एवं प्रत्येक माह सम्बन्धित ए.एस.ओ.सी. द्वारा डी.ओ.सी. द्वारा तैयार अद्यतन स्टॉक बुक, केसबुक का निरीक्षण करें, भौतिक निरीक्षण करे तथा संधारित केसबुक प्रमाणित करें।

बिंदु (ब) स्टोर कक्ष के 02 एवं लेखा कक्ष के 02 कर्मचारियों द्वारा आडिट आपत्तियों के आपत्तियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की प्रशंसा करते प्रमाणपत्र जारी के करने सम्बन्ध में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

निर्णय :– (अ) सदस्यों के सुझाव अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे (ब) राज्य कोषाध्यक्ष के प्रस्तावानुसार स्टोर एवं लेखा कक्ष के 02–02 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया जावे।

कार्यवाही :– राज्य सचिव/संयुक्त राज्य सचिव/सहायक सचिव/लेखाधिकारी

प्र. 04 श्री विजय आंबेकर ने प्रस्ताव रखा कि अपील समिति में अनुंशसाओं पर कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराया जावे।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि अपील समिति की अधिकतर अनुशंसाओं पर कार्यवाही की जा चुकी है । शेष पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

निर्णय :– अपील समिति की अनुशंसाओं पर शेष रही कार्यवाही शीघ्र संपादित हो।

कार्यवाही :– संयुक्त राज्य सचिव/कार्यालय अधीक्षक

प्र. 05 श्री विनोद मालवीय ने होशंगाबाद संभाग में मात्र एक ए.एस.ओ.सी.–स्काउट होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहाँ एक सहायक ग्रेड–3 अथवा अन्य कर्मचारी भेजा जावे।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि होशंगाबाद कार्यालय हेतु 01 सहायक ग्रेड–3 का आदेश जारी किया जा चुका है।

निर्णय :– कार्यवाही शीघ्र संपादित हो।

कार्यवाही :– कार्यालय अधीक्षक

प्र. 06 श्रीमती गुणमाला जैन ने कहा

(1) कि दमोह जिले में स्काउटिंग–गाइडिंग का कार्य पिछड़ा है तथा कार्य नहीं हो रहा है।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में श्रीमती कंचन सिंह, प्रभारी ए.एस.ओ.सी. सागर स्काउटिंग का कार्य कर रही है। उन्हें अवगत कराया जा रहा है एवं आप भी स्काउटिंग समस्या हेतु सम्बन्धित से संपर्क करें । किसी भी प्रकार की समस्या होने पर राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट/गाइड को अवगत करावे।

(2) संस्था की राज्य/संभाग स्तरीय बैठकों में सम्मिलित होने पर टी.ए./डी.ए. प्राप्त नहीं होता है निराकरण किया जावे।

राज्य सचिव ने कहा कि इस सम्बन्ध में जिला संघ में लिखा जावेगा व सम्बन्धितों को सूचित किया जावेगा।

निर्णय :– कार्यवाही शीघ्र संपादित हो।

कार्यवाही :– एस.ओ.सी.(एस/जी)

प्र. 07 श्री आर.डी. सोलंकी ने प्रस्ताव रखा कि–

(1) वर्तमान राज्य आयुक्त (गाइड) सुश्री शीला दाहिमा की भोपाल से बैतूल पदस्थापना होने से वह बैठकों में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं व प्रमाणपत्रों में हस्ताक्षर भी लंबित होते जा रहे है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रीय मुख्यालय को सेंसस अनुसार एफीलेशन फी तथा रजिस्ट्रेशन राशि भेजी जाती है परन्तु राज्य मुख्यालय को पंजीयन कम प्राप्त हो रहा है तथा अंशदान भी नहीं मिल रहा है अतः इस सम्बन्ध में विचार किया जावे।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित नियमानुसार गणना कर जानकारी एकत्रित कर अवगत कराया जावेगा।

निर्णय :– (1) प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। (2) जानकारी से 15 दिवस में अवगत कराया जावे।

कार्यवाही :– एस.ओ.सी.
(एस/जी)/सहायक सचिव

प्र. 08 श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 13–26/2017/20–1, भोपाल दिनांक 30.06.2017 द्वारा मेरी सेवायें राज्य सचिव, भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश के पद पर समान सामर्थ्य एंव वेतनमान में 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. के अनुमोदन पश्चात कार्यालय आदेश क्र. 157–158 दिनांक 03.07.2017 के परिपालन में श्री मेरे द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2017 को अपरान्ह में संस्था में उपस्थित होकर राज्य सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज्य कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण अनुमोदन करना चाहेंगे।

श्री प्रकाश चित्तौडा, श्री राजीव जैन सहित सभी सदस्यों ने अनुमोदन प्रदान किया ।

निर्णय :– राज्य कार्यकारिणी द्वारा श्री आलोक खरे की समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में राज्य सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही :– राज्य सचिव

प्र. 09 प्रस्ताव रखा गया कि श्री आलोक खरे ने राज्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है अतः उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी हेतु नामांकित किया जावे।

सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

निर्णय :– श्री आलोक खरे, राज्य सचिव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नामांकित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही :– राज्य सचिव

–इस अवसर पर श्री प्रकाश दिसोरिया, एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि डॉ बलवान सिंह जी, राज्य कोषाध्यक्ष, वर्ष 2010 में श्री लंका में प्रोफेशनल स्काउट एक्जिक्यूटिव मीट में सम्मिलित हुए थे। ऑफिएटिंग डायरेक्टर, राष्ट्रीय मुख्यालय के माध्यम से रीजनल डायरेक्टर एशिया पैसिफिक फिलीपींस द्वारा द्वारा प्रोफेशनल एक्जीक्यूटिव मेडेलियनक्र' 481 भेज कर श्री सिंह को कार्यक्रम के माध्यम प्रदान करने का आग्रह किया है। उक्त सम्मान पत्र माननीय राज्य मुख्य आयुक्त एंव राज्य आयुक्त–स्काउट के कर कमलों से डॉ बलवान सिंह को प्रदान कर सम्मानित करना चाहेंगें।

राज्य मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त(स्काउट) द्वारा डॉ बलवान सिंह को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रोफेशनल एक्जीक्यूटिव मेडेलियनक्र' 481 करताल ध्वनि के बीच प्रदान किया। सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने डॉ सिंह को उनके स्काउटिंग के प्रति लगाव एवं सेवाओं हेतु धन्यवाद तथा बधाई दी ।

– राज्य मुख्य आयुक्त ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया कि वह भी स्काउटिंग में बच्चों हेतु कार्यक्रम जोड़ने हेतु सहमत रहते हैं वे बाल्यकाल से कुश्ती से जुडें है तथा उज्जैन में दिनांक 13 सितंबर–2017 को आयोजित विशेष कार्यक्रम में अखाडे में मुर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सभी सदस्य आमंत्रित है।

– श्री प्रकाश दिसोरिया, एस.ओ.सी.–स्काउट

श्री प्रकाश चित्तौडा ने कहा उज्जैन में नवनिर्मित स्काउट–भवन के शुभारंभ पर राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अतिथि को आमंत्रित करना है इस पर निर्णय राज्य मुख्य आयुक्त लेना चाहेंगे।

– श्री प्रकाश दिसोरिया, एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि संस्था के आजीवन सदस्यों का मिलन समारोह दिनांक 23 जुलाई 2017 को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर, भोपाल में रखा गया है जिसमें स्काउटिंग उन्नयन पर भी चर्चा होगी । कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित है।

बिन्दु क्र. 07 अध्यक्षीय उद्‌बोधन :–

माननीय श्री पारस चंद्र जैन, मंत्री नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. ने राज्य कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कार्यकारिणी की इस तीसरी बैठक में कुछ अच्छे सुझाव प्राप्त हुए है सदस्यों की बैठक में सक्रियता रही है । संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका "बालचर रवि" की सदस्यता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है हम लोग भी आज से इसके आजीवन सदस्य बने है ताकि हमारे परिवारों में भी यह पत्रिका पहूँचे। पत्रिका के संपादक मंडल के पदाधिकारी भी इसके आजीवन सदस्य बने तथा उनके परिवारों को भी जोड़े । श्री राजीव जैन ने 03 आजीवन सदस्य बनाये हैं आप भी सदस्य बनावें। इस संस्था के कार्य बड़ें जिनका प्रचार–प्रसार होना चाहिये । अच्छी संस्थाओं को राशि प्राप्त हो जाती है आवश्यकता है सार्थक प्रयासों की। उज्जैन भी भी सहयोग से स्काउट भवन बनाने का प्रयास सफल हुआ है। इंदौर में भूमि का सार्थक उपयोग हो यह बहुमूल्य भूमि है इससे संस्था को आय नही हो पा रही है अतः आय प्राप्ति का प्रयास किया जावे। आगामी कार्यकारिणी बैठक के पूर्व जो भी समस्या हो उसे सुलझा लिया जावे। संस्था की भूमि का उचित व संस्था हित में उपयोग होना चाहिए। मैं संस्था को सहयोग हेतु सदैव तत्पर हूँ । मेरा सोच है कि प्रदेश में प्रदेश तहसील/जिले/संभाग सभी जगह स्काउटटिंग दल सक्रिय रहते हुए कार्य करें एवं सामाजिक/राष्ट्रीय आवश्यकता पर वह तुरंत उपलब्ध हो।

इस संस्था में अनेक अनुभवी लोग है। वर्तमान में मीडिया में कुछ विघ्नसंतोषी संस्था के सम्बन्ध में गलत समाचार छपवाते हैं गलत खबरे छपने से समाज में संदेश भी गलत जाता है । अतः अलर्गल खबरों खंडन करते हुए वास्तविकता से अवगत कराया जावे।

उज्जैन में दिनांक 13 सितंबर–2017 को आयोजित कार्यक्रम में सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी ने बैठक में विशेष सहयोग दिया। धन्यवाद, जय हिंद।

बिन्दु क्र. 13 धन्यवाद :- श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने उपस्थित सभी राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी, विशेष आंमत्रित अतिथियों को राज्य मुख्यालय पधारकर बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद प्रकट किया। सभी से इस संस्था में सहयोग का अनुरोध किया ।

(पारस चंद्र जैन)
मंत्री, नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा
म.प्र.शासन एवं
राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश